

pleased to refer to the reply to the Unstarred Question No. 411 given in the Rajya Sabha on the 18th November, 1970 and state :

(a) whether Government have since formulated their policy in respect of the ceilings on urban property ;

(b) if not, the reasons for the delay ; and

(c) by when Government proposed to finalise their scheme ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING/निर्माण और आवास मंत्री (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) to (c) The Government have not finally formulated details of their policy, as the views of the State Governments and the Union Territories to whom the matter has been referred with copies of the Working Group's Report and the draft legislation proposed on the subject, have not yet been received. The matter will be taken up after the views of the various State Governments and Union Territories are received.

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के सांविधानिक संशोधन

\*87. श्री मान सिंह वर्मा :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री निरंजन वर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने तथा उद्योग आदि का अर्जन सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये सांविधानिक संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह संशोधन कब तक लाया जायेगा ?

† [CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON CEILING ON URBAN PROPERTY

\*87. SHRI MAN SINGH VARMA :

SHRI J. P. YADAV :

SHRI NIRANJAN VARMA :

Will the Minister of WORKS AND HOUSING/निर्माण और आवास मंत्री be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to bring in a constitutional amendment for implementing the proposal for putting a ceiling on urban property and for guaranteeing acquisition of industries etc. ; and

(b) if so, what are the details thereof and by when it will be brought forth ?]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू करने के सम्बन्ध में एक बिल का मसौदा राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी तथा सहमति के लिये पहले ही परिचालित किया जा चुका है। बिल के मसौदे में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू करने के लिये तथा अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने पर पाबन्दियों तथा अधिकतम सीमा से अधिक सम्पत्ति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये अनिवार्य अधिग्रहण की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से अपने विचार शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

इस बिल में उद्योगों आदि के अधिग्रहण की गारंटी का कोई उपबन्ध परिकल्पित नहीं है।

† [THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING/निर्माण और आवास मंत्री (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) and (b) A draft Bill relating to the imposition of a ceiling on urban property has already been circulated to the State Governments and Union Territories for their comments and concurrence. The draft Bill provides for the

imposition of a ceiling on urban property and of restrictions on the transfer of property in excess of the ceiling and for the compulsory acquisition, for public purposes, of property in excess of the ceiling. The State Governments have been requested to expedite their views.

No provision guaranteeing acquisition of industries etc. is contemplated in this bill.]

#### PERSONS VISITING RUSSIA

\*88. SHRI K. SUNDARAM : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS/विदेश मंत्री be pleased to state :

(a) what is the number of Indians who have visited Russia during the last one year at the invitation of the Russian Government ;

(b) whether there has been an increase in the flow of invitation from Russia to India in various fields ; and

(c) if so, the reaction of the Government of India in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS/विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (SHRI SUREN-DRA PAL SINGH) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

#### शहरों तथा गांवों में पेय जल की व्यवस्था

\*89. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने शहरों तथा ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है ; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या सरकार का कोई प्रावस्था भाजित कार्यक्रम है ?

#### † [PROVISION OF DRINKING WATER IN CITIES AND VILLAGES

\*89. SHRI J. P. YADAV : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING/स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री be pleased to state :

(a) the number of cities and villages where arrangements for drinking water have not been made so far ; and

(b) whether Government have any phased programme for tackling this situation ?]

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

#### विवरण

(क) इस समय देश में लगभग 1,250 कस्बे तथा शहर ऐसे हैं, जिनमें पेय जल की समुचित व्यवस्था करनी बाकी है । जिन गांवों और खेड़ों में 50 फुट की गहराई तक या एक मील के फासले तक पानी प्राप्त करने के कोई साधन नहीं हैं, उनकी संख्या लगभग 97,000 आंकी गई है ।

(ख) विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों में संतोषप्रद सामूहिक जल पूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने 1954 में राष्ट्रीय जल पूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था । शहरी जल पूर्ति और सिवरिज योजनाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 27700 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई है । चौथी योजना के दौरान लगभग 948 शहर जल पूर्ति योजनाओं और लगभग 207 शहरी सिवरिज योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है । चौथी योजना में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिये 12450 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और आशा है कि लगभग 10,369 गांवों को नल द्वारा